

18/6/18

पत्रावली राज राजस्व लोक अदालत कैंप  
कोर्ट ग्राम पंचायत बरैठा में पेश हुयी।  
प्रतिवादी मोरन सिंह एवं उनके अभिभाषक  
इपास्थित। प्रतिवादी ने बताया कि वादी  
मोबरन सिंह डिगंक 8.2.18 को कोल है  
गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति  
पेश की गयी। लहरीलदार धौलपुर ने  
रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार स्वसरा  
नम्बर 846 रकवा 2-08 बीघा की पैमाइस  
की जाकर 30 फुट रकवा पूरा करके दोनों  
पक्षों का समझौता कराया गया है। उक्त

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील में  
जारी हुये

रिपोर्ट पर रव. नं. 846 पर ~~खेसवाडी~~  
सोवरन के सह खातेदार ~~बैकुण्ठी~~ व  
नारायण सिंह के भी हस्ताक्षर हैं। प्रतिवादी  
फोखन सिंह ने भी उक्त रिपोर्ट पर  
हस्ताक्षर किये हैं। इस प्रकारवाही  
की खातेदारीकी 30 फुट ग्राम का  
रकबा ~~यस~~ के बाद पूरा किया  
जा चुका है। धातः धातः वाड को  
बलाने का कोई कोर्पिल्य नहीं  
है। धातः धातः वाडी इली स्तर पर  
स्वारीज किया जाता है। पत्रावली  
केशल सुमार होकर दारखिल  
हफ्तार है।

उपखण्डाधिकारी

धीलपुर गज०